/

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–एफ 29( )फायर/डीएलबी/2025/ 94 **दिनांक** 25/03/2025

आदेश

राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मॉक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 103(1)(vii), 337 एवं सपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिक्रमित करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2023 जारी किया गया था।

उक्त आदेश के सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार नगरीय निकाय में सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष तथा औद्योगिक एवं चिकित्सा प्रकृति के भवनों के संबंध में तालिका–3 एवं तालिका–4 के अनुसार 1 वर्ष/3 वर्ष/5 वर्ष के लिए फायर एन.ओ.सी. जारी किये जाने के प्रावधान हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2025–2026 के बिन्दु संख्या 150 पर की गयी घोषणा के क्रम में नगरीय निकाय में सेफ्टी प्रमाण–पत्र/फायर एन.ओ.सी. के आवेदन प्राप्त होने पर समुचित अग्निशमन यंत्र लगे होने तथा चालू हालत में होने की दशा में निर्धारित शुल्क लेकर सामान्य प्रकार के भवनों हेतु न्यूनतम दो वर्ष तथा औद्योगिक एवं चिकित्सा प्रकृति के भवनों के संबंध में तालिका–3 एवं तालिका–4 के अनुसार 2 वर्ष/3 वर्ष/5 वर्ष के लिए फायर एन.ओ.सी. जारी की जा सकेगी। इसके साथ ही आवेदक द्वारा फायर एन.ओ.सी. पोर्टल पर प्रतिवर्ष स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। फायर एन.ओ.सी. की प्रक्रिया में सरलीकरण किया जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जाकर 15 दिवस में फायर एन.ओ.सी. जारी की जानी आवश्यक होगा।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:– No. 95-444 Date 25/03/2025

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।

8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

9. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।

10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।

11. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।

12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।

13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक/संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।

14. रक्षित पत्रावली।

(नवीन यादव)
उप निदेशक (प्रशासन)